संख्या-20/2025/717/001-53-2099-929-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग- 2 लखनऊ, दिनांक: 29-10-2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत 'नन्द बाबा पुरस्कार' हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-219/दुग्ध-5/नियो0/नन्द बाबा पुरस्कार/2025-2026, दिनांक 30 सितम्बर, 2025 एवं पत्रांक-102/दुग्ध-5/नियो0/नन्द बाबा पुरस्कार/2025-2026, दिनांक 08 अगस्त, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय गोवंश की गाय के दूध में वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 'नन्द बाबा पुरस्कार' प्रदान करने हेतु शासनादेश संख्या-21/2018/1642-53-2-18-2(29)/2017टीसी, दिनांक 22 अक्टूबर 2018 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किय गये हैं, जिसके द्वारा भारतीय गोवंश की गाय के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले एक दुग्ध उत्पादक को, जो दुग्ध विकास विभाग के अधीन कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अन्तर्गत गठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य हो तथा समिति के माध्यम से दुग्ध संघ को वर्ष में कम से कम 1500 ली0 दूध का विक्रय किया हो, को विभिन्न स्तर पर गठित चयन समितियों द्वारा की गई सस्तुतियों के आधार पर 'नन्द बाबा पुरस्कार' के रूप में विकास खण्ड/जनपद/राज्य स्तर पर क्रमशः रूपये 5100/- रूपये 21000/- एवं रुपये 51000/- की दर से धनराशि तथा पीतल धातु पर एक शील्ड, जिस पर भारतीय गोवंश की गाय एवं बछड़े के साथ नन्दबाबा की मूर्ति होगी को, प्रमाण-पत्र के साथ वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः 'नन्द बाबा पुरस्कार' हेतु चालू वित्तीय 2025-26 में प्राविधानित धनराशि रू0 58.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 58.00 लाख (रू0 अट्ठावन लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद के अन्तर्गत किया जायेगा। धनराशि का आहरण यथावश्यकता ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर, जिस खाते में जमा किया जायेगा, यदि उस खाते में कोई ब्याज अर्जित होता है तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों के आलोक में किया जायेगा।

(4) वितीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत धनराशि तथा उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्त तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्वन्ध में वित विभाग (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाक 27 मार्च, 2025 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 58,00,000 (रुपये अट्ठावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404008000400 "नन्द बाबा पुरस्कार" **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव,
विशेष सचिव।

संख्या-20/2025/717/001-53-2099-929-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0,लखनऊ/प्रयागराज ।

3. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन,15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

4- प्रबंध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, लखनऊ।

5.वित नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

6- वरिष्ठ मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- समस्त दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/समस्त दुग्ध संघ।

8. वित्त (आय-व्यय) अनु0-2, उ0प्र0 शासन।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- वित (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

10- सम्बन्धित जिलाधिकारी।

11- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम आसरे राम,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।